The second problem is that so far as States like Assam is concerned, there is a heavy dearth of doctors. That is why the Assam Government, during the last fifteen years, opened three medical colleges in addition to the existing three medical colleges. Now, under this system, what will happen is that students from different States will take admission and pursue their studies in Assam, and after getting their degrees, they will never go and work in Assam. So, the problem of dearth of doctors will persist in Assam. Sir, another thing is that as per our Constitution, education is a State subject. Now this kind of imposition by the Medical Council of India and the Central Government is a direct threat to the federal structure of our country. So, my request is that considering the career of lakhs and lakhs of students of our country, the HRD Ministry and the Law Ministry should take up the matter and move the Supreme Court for modification of this order. Thank you.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SANTIUSE KUJUR (Assam): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. VIJAYLAXMI SADHO (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Huge pendency of cases in various courts of the country

श्री शरद यादवः सर, हमारे साथी, पुनिया जी ने काफी विस्तार से अपनी बात रख दी है। पूरे देश में 3 करोड़ 25 लाख केसेज pending हैं, जिनमें से 40 लाख हाई कोर्ट में हैं और 62 हजार सुप्रीम कोर्ट में हैं। हालत यह है कि सरकार के पास जो collegium system है, अभी इनका जो कानून बना

था, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो जो collegium system है, उसके द्वारा 169 proposals are pending for verification, यानी लगभग 170 जजेज रिकमंड कर दिए गए हैं। देश की जेलों में तीन गुना, चार गुना, पाँच गुना ज्यादा लोग रह रहे हैं। देश की दो सबसे बड़ी संस्थाएँ हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वे देश की एक बड़ी संस्था हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वे ब्रेक डाउन हो गए। हालात इतने गम्भीर हैं कि यह सब सारे देश ने देखा है। पुनिया साहब ने जो कहा है और दूसरा, भारत की हकीकत है, उसका कभी भी सुप्रीम कोर्ट में और अन्य कोर्ट्स में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। भारत के 80 फीसदी लोग इन अदालतों में कहीं नहीं दिखते। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से, इतनी बडी घटना हो गई कि प्रधान मंत्री वहां बैठे थे और चीफ जस्टिस ब्रेक डाउन हो गए, यानी वे इस तरह से मजबूर हैं, इस तरह से दिक्कत में हैं कि लगता है कि उनके दिल में बहुत पीड़ा है। जिस आदमी के ऊपर जिम्मेदारी होती है और जब भारत के अन्दर इतने सारे केसेज़ पेंडिंग हैं, ऐसे में जब किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकलता, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। ये जो दो लोग हैं, ये सर्वोच्च संस्थाएँ हैं। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है, लोकतंत्र आपस में रिश्तों से चलता है। मैं सरकार से सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि आपने इसे क्यों रोक कर रखा है? ये जो जजेज़ हैं, उनके बारे में पता लगाने मे आपको, आईबी को, कितने दिन लगेंगे? सर, यह एक गम्भीर मामला है, जो पुनिया साहब ने उठाया। उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। मैं उनको नहीं दोहराऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी जानकारी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह इस पर बयान लेकर क्यों नहीं आती है? क्यों पूरे देश में दोगूने, तिगूने गरीब लोग बंद हैं और इतनी बडी घटना होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं है? पार्लियामेंट चल रही है और सरकार की तरफ से कोई भी बात नहीं कही जा रही है। आपको यहाँ बताना चाहिए कि क्यों आपने इसे रोक कर रखा है? इन 170 लोगों को आपने क्यों रोक रखा है? क्यों नहीं इनको क्लियर कर रहे हैं? आईबी 15 दिन में पता लगा सकती है। यह प्रधान मंत्री के पास है। ...(व्यवधान)... क्यों नहीं आप इस काम को कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... देश भर में लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। ...(व्यवधान)... वे बरबाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। ...(व्यवधान)... लोग जिन्दगी नहीं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आपका समय समाप्त हो गया। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादवः वे दो-तीन पीढ़ियों से केस लड़ रहे हैं। ...(व्यवधान)... ...(समय की घंटी)... केस का डिस्पोज़ल नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)... दो मिनट का टाइम ...(व्यवधान)... सरकार को इस पर बोलने का काम करना चाहिए। ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ANAND BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री पवन कुमार वर्माः महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।
श्री रिव प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।
श्री अली अनवर अंसारी (बिहार)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।
श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।
डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।
श्रीमती मोहिसना किदवई (छत्तीसगढ़)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।

کر محترمہ محسنہ قدوائی (چھٹیس گڑھہ) مہودے، میں بھی خود کو اس وشنے سے سمیڈ کرتی ہوں

श्रीमती रानी नाराह (असम): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।
श्रीमती रेणुका चौधरी (आन्ध्र प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।
श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।
डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।
श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।
श्री भुवनेश्वर कालिता (असम): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।
श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।
श्री रंजिब विरवाल (ओडिशा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।
डा. चन्द्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I support the contention that Shri Sharad Yadav said. I just want to add one thing. I want the Government to respond. When the National Judicial Appointments Commission Bill came, a large number of Members in the House had opined that you should convert this into a National Judicial Commission that will also deal with appointments, transfers etc. of the judges. That was not done. That was not accepted by the Government. Now, that appointment done. That was not accepted by the Government. Now, that appointment strength is under suspension. This is happening here. How do we clear our backlog? What is the road map of the Government? Sir, you as the Chair, must ask them to please tell the House. ... (Interruptions)...

[†]Transliteration in Urdu Script.

श्री शरद यादवः सर, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को इस पर कुछ तो बोलना चाहिए। ...(व्यवधान)... लॉ मिनिस्टर सदन में आकर बताएँ। ...(व्यवधान)... क्यों यह डिले हो रहा है? ...(व्यवधान)...

SHRI SITARAM YECHURY: They will have to respond.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Sir, there should be a discussion in the House on the failure of the Government.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): उपसभापित जी, आदरणीय शरद जी ने और सीताराम येचुरी जी ने, पूरे देश में विभिन्न कोर्ट्स में जो केसेज़ पेंडिंग हैं, उनके बारे में चिन्ता व्यक्त की है और यह निश्चित तौर से जायज़ है। इसके साथ ही साथ जिस विषय पर माननीय सदस्य ने नियुक्तियों के सम्बन्ध में जानना चाहा है, मैं इस संबंध में संबंधित मंत्री से बात करूँगा और उनको इस बारे में जानकारी दे दूँगा। ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येच्रीः सर ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You convey the feelings to the hon. Law Minister for speedy action.

श्री मुख्तार अब्बास नक्रवीः सर, माननीय सदस्य की जो चिन्ता और फीलिंग है, उसे मैं convey कर दूँगा। ...(व्यवधान)...

Increasing incidents of custodial deaths, particularly in Maharashtra

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, as per data provided by the National Crime Records Bureau, incidents of custodial deaths in India have consistently been very high. In 2013, 97 incidents and in 2014, 92 incidents of custodial deaths were reported. It is shocking to note that in 2014, 2/3rd of deaths occurred in cases where people were not remanded to police custody by courts, which means that not only were they illegally detained but they died while in custody.

Maharashtra has reported the maximum number of such cases year-after-year with 34 in 2013 and 21 in 2014. Despite repeated complaints, the State Government is not doing much to prevent the same. In 2014, the Bombay High Court had directed the State Government to install CCTV cameras in all police stations. But, even after 1½ years, the only progress on the matter is that tenders have been invited! Nothing has been done. In January this year, the court reprimanded the State for failing to comply with its order. It is also worth mentioning that in this case some findings were laid before the court and the court was pained to observe that majority of the cases of custodial deaths involve people from the minority communities. मालेगांव का इंसिडेंट आप